

3	<ul style="list-style-type: none"> Annual Average Turnover of the Bidder, in the last three financial years, i.e. to 2014-15, 2015-16 & 2016-17 (as per the last published audited balance sheets), should be at least Rs. 10.00 (ten) crore In case of a consortium, at least one member should have an Annual Average Turnover of at least Rs. 10.00 (ten) crore in the last three financial years, i.e., 2014-15 to 2016-17 (as per published audited balance sheets) 	<p>a) For Group 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Annual Average Turnover of the Bidder, in the last three financial years, i.e. 2014-15, 2015-16 & 2016-17 (as per the last published audited balance sheets), should be at least Rs. 8.00 (Eight) crore In case of a consortium, at least one member should have an Annual Average Turnover of at least Rs. 8.00 (Eight) crore in the last three financial years, i.e., 2014-15 to 2016-17 (as per published audited balance sheets) <p>b) For Group 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Annual Average Turnover of the Bidder, in the last three financial years, i.e. 2014-15, 2015-16 & 2016-17 (as per the last published audited balance sheets), should be at least Rs. 4.00 (Four) crore In case of a consortium, at least one member should have an Annual Average Turnover of at least Rs. 4.00 (Four) crore in the last three financial years, i.e., 2014-15 to 2016-17 (as per published audited balance sheets)
4	Devasthan Department Rajasthan shall be the funding authority and shall provide complete fund as per prices quoted and mutually agreed between the parties for religious tour packages. After successful completion of tour select bidder should submit categorywise (Gen. SC. ST, TSP) invoice in duplicate along with completed attendance cum feedback form Annexure 16 for payment and devasthan department shall make payment promptly	Request regarding release of 30% advance along with PO and rest 70% after successful completion of tour is not accepted.
5	If we book tickets and we have to cancel the tour because of natural calamity.	matter will be resolved mutually by the parties on production of valid proofs.
6	If we book tickets and on the final day few people do a no show.	payment will be done of actual no. of passengers travelled in particular flight.
7	Request to kindly notify 15 days advanced for exact number of people travelling for any tour.	list of passengers along with reserved list will be provided to the successful bidder 15 days before actual date of journey.
8	कुल हवाई यात्रियों की संख्या में पोर्टल पर 2000 हजार दर्शाई गई है और टेण्डर में 5000 है, कृपया स्पष्ट करें।	अनुमानित 5000 यात्रियों को हवाई जहाज से हवाई यात्रा कराई जायेगी।
9	यदि प्रति टूर बिड लागत अनुमानित लागत से ज्यादा होती है तो किन-किन परिस्थितियों में मान्य है और अमान्य है।	निविदा कि शर्तों के अनुसार वित्तीय बिड में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तय की जायेगी।
10	यदि किसी कारणवश किसी तीर्थ स्थान पर किसी भी कारण से 24 घंटे में यात्रियों को दर्शन नहीं हो पाये तो उन्हें तय समय अनुसार वापस लाया जायेगा और यदि किसी एक या एक से अधिक यात्रियों ने या विभाग के अधिकारियों ने दर्शनों के लिये रुकने का आदेश दिया तो अतिरिक्त खर्च राशि जैसे की एयर-फेयर चार्ज, ट्रांसपोर्ट एवं अन्य व्यय के लिये कोन	प्रश्न काल्पनिक है, निविदा शर्तों अनुसार कार्यवाही होगी।

	जिम्मेदार है।			
11	यदि किसी कारणवश एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों की लापरवाही से यात्रियों की फ्लाईट छुट गई तो उस परिस्थिति में अतिरिक्त खर्च कोन वहन करेगा।			सफल बिडर का दायित्व है कि निर्धारित समय में शर्तों की पालना करते हुए यात्रा पूर्ण करावे।
12	यदि किसी कारणवश कनेक्टींग फ्लाईट रद्द हो जाये, यात्रियों से छुट जाये तो मौके पर जो भी निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जायेगा उसका अतिरिक्त खर्च कोन वहन करेगा।			फ्लाईट रद्द होने पर संबंधित फ्लाईट कम्पनी द्वारा व्यवस्थाएँ की जाती है। इस संबंध में सफल बिडर इसकी व्यवस्था करें।
13	यदि किसी कारणवश कनेक्टींग फ्लाईट अगले दिन की होगी तो अतिरिक्त रहने का खर्च कोन वहन करेगा।			फ्लाईट रद्द होने पर संबंधित फ्लाईट कम्पनी द्वारा व्यवस्थाएँ की जाती है। इस संबंध में सफल बिडर इसकी व्यवस्था करें।
14	यदि किसी कारणवश यात्रियों की बुकिंग होन के बाद कोई भी यात्री किसी भी कारण से यात्रा में सम्मिलित नहीं होता है तो उस राशि का खर्च कोन वहन करेगा।			फ्लाईट विशेष में जितने यात्री यात्रा करेंगे उनका ही भुगतान किया जायेगा।
15	जैसा की राजस्थान सरकार के लगभग सभी डिपार्टमेंटों में होने वाले ई-टेंडर में एक बार पूर्व होने के बाद अगले वर्षों में केवल फाईनलीयल बिड में ही पार्टीसीपेट करना होता है क्योंकि टेक्नीकल बिड में वो पूर्व में ही पूरा कर चुके होते है, जब तक की नया टेंडर पूर्व दिये गये वर्क ऑर्डर की तुलना में ज्यादा न हो। सामान्यतः टेक्नीकल बिड नये आने वाले वेण्डरों के लिये विभाग की कार्य संतुष्टी हेतु प्रक्रिया है। इस स्थिति को स्पष्ट करे।			छुट हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। RTTP Rules, GF&AR में वर्णित नियमों एवं RFP में वर्णित शर्तों की पालना आवश्यक है।
16	किसी भी एक या एक से अधिक टयूर की फाईनलीयल बिड ऑपन करने के लिये मिनिमम कितने बिडर होने चाहिये।			कोई पाबन्दी नहीं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17	निम्न तीर्थ यात्रा स्थलों में NIB दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 10 पर उल्लेखित तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त यात्रा करवायी जानी है।			
	क्र०सं०	तीर्थ यात्रा स्थल	अतिरिक्त यात्रा स्थल	मार्ग
	9	श्रवणबेलगोला	मैसूर	मैसूर/बंगलोर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	10	सम्मद शिखर	गया-बोधगया/पटना-पावापुरी-कुण्डलपुर (वैशाली)	रांची, पटना या गया तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	12	शिरडी	शनि सिगनापुर-त्रयंबकेश्वर	शिरडी/नासिक तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	13	कामख्या	गुवाहाटी (राज्य संग्रहालय, कलाक्षेत्र)	गुवाहाटी तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	14	उज्जैन(महाकालेश्वर)	काल भैरव मंदिर-नवग्रह मंदिर-आँकारेश्वर	इंदौर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
18	समस्त यात्रा स्थलों को निम्न दो समूहों में बाँटा गया है अतः पृष्ठ संख्या 3, 4, 10, 45, 66 पर यात्रा स्थलों को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-			
	क्र.सं	तीर्थ स्थान का नाम		यात्रा
		समूह-1		
	1	रामेश्वरम्-मीनाक्षी मंदिर		मदुरई तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	2	तिरुपति-श्रीपुरम लक्ष्मी स्वर्ण मंदिर, वेल्लोर		तिरुपति या वेल्लोर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	3	जगन्नाथपुरी-लिंगराज मंदिर-कोणार्क सूर्य मंदिर		भुवनेश्वर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	4	वैष्णोदेवी		जम्मू तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	5	द्वारकापुरी		जामनगर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
		समूह-2		
	6	प्रयाग (इलाहाबाद)-वाराणसी (काशी)-सारनाथ		इलाहाबाद/वाराणसी तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	7	बिहार शरीफ (नारलदा)-राजगीर-गया-बोधगया- पटना साहिब		गया या पटना तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	8	अमृतसर-आनंदपुर साहिब		अमृतसर तक हवाई जहाज द्वारा, आगे बस द्वारा यात्रा
	9	श्रवणबेलगोला- मैसूर		मैसूर/बंगलोर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
	10	सम्मद शिखर-गया- बोधगया/ पटना-पावापुरी-कुण्डलपुर (वैशाली)		रांची, पटना या गया तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा

11	गोवा	गोवा तक हवाई जहाज
12	शिरडी- शनि सिंगनापुर-त्रयम्बकेश्वर	शिरडी/नासिक तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
13	कामाख्या-गुवाहाटी (राज्य संग्रहालय, कलाक्षेत्र)	गुवाहाटी तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा
14	उज्जैन (महाकालेश्वर)-काल भैरव मंदिर-नवग्रह मंदिर- ओंकारेश्वर	इंदौर तक हवाई जहाज द्वारा आगे बस द्वारा यात्रा

अन्य संशोधन -

- 1 यदि एक वेंडर अनेक तीर्थ स्थलों के लिए एल-1 होता है तो प्रत्येक तीर्थ स्थल के लिए अलग-अलग कागज पर बैंक गारंटी के बजाय एक ही स्टाम्प पेपर पर वेंडर की समस्त बैंक गारंटी ली जा सकती है।
- 2 यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व वेंडर द्वारा रुकवाये जाने वाले स्थान व यात्रा हेतु निर्धारित बस के भीतर की फोटो प्रेषित की जाएगी। साथ ही वहां अनुरक्षक के फीडबैक का संक्षिप्त वीडियो (2-3 मिनट) भी अपलोड किया जाएगा। इसके लिए देवस्थान विभाग द्वारा स्वयं अपना ऐप अथवा सोशल नेटवर्किंग ऐप उपलब्ध कराया जाएगा। जिनमें यात्रियों की अनुमानित संख्या 500 से अधिक है, वहां वेंडर द्वारा रुकवाये जाने वाले स्थान की देवस्थान विभाग द्वारा प्री-विजिट भी सुनिश्चित की जा सकती है। इसे आवश्यकतानुसार अन्य तीर्थ स्थलों हेतु भी क्रियान्वित किया जा सकता है।
- 3 जहां पर कुल प्रतिव्यक्ति व्ययभार 20 हजार से अधिक आता है, वहां तीर्थ स्थल हवाई यात्रा हेतु निरस्त किया जा सकता है।
- 4 जिन बोलीदाताओं का गत 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 8 करोड़ अथवा अधिक है वह समस्त यात्रा स्थलों (समूह 1 व 2) हेतु बोली में भाग ले सकेंगे तथा जिन बोलीदाताओं का गत 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 8 करोड़ से कम परन्तु 4 करोड़ से अधिक है वे बोलीदाता केवल समूह 2 के यात्रा स्थलों की बोली में ही भाग ले सकेंगे।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
आईओएसओ







आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर
दिनांक 26-4-18

क्रमांक एफ.1(1)लेखा/दि0द0व0ना0ती0या0यो0/देव/2018/7763-75
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान
2. संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर/जिला कलेक्टर, उदयपुर/आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर/सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर/ऋषभदेव/जयपुर (प्रथम/द्वितीय)/ अजमेर/ हनुमानगढ़/ वृन्दावन/ उदयपुर/ कोटा/ बीकानेर।
4. भूपेन्द्र सिंह सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि उक्त संशोधन को आज ही ई-प्रोसेसिंग पोर्टल पर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संलग्न Annexure-A में वर्णित फर्मों को जरिये मेल सूचित कर संबंधित प्रिंट आउट उपलब्ध करावें।

आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2018 अन्तर्गत हवाई यात्रा
की Pre Bid Meeting दिनांक 18.04.2018 3:00 P.M.

क्र.सं.	नाम फर्म	मोबाईल नम्बर	ई-मेल एड्रेस	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	M/s Radiant Tours Pradeep Joshi	9001134000	radiant.tours2012@gmail.com	
2	Oravel Stays Pvt Ltd. Ankit Shandilya	7727072861	Pankaj Kumar@cyorooms.com	
3	KULDEEP TOUR and Travels Pvt. Ltd. KULDEEP SINGH	9988937072	KuldeepTourandtravels17@gmail.com	
4	PANICAT LEMAR ORAVEL STAYS PT LTD	9560208333	Pankaj.Lemara@cyorooms.com	
5	Swapnil Talveja San tour & travels	7000250567	San tour@gmail.com	
6	अमजद भाला अमजद भाला AMJAD BHAL 3724	9414235154	Syed Tours Travels & Co. ymail.com	
7	चेतक ट्रावेल्स चेतक ट्रावेल्स	9414163289	chetaktravels@gmail.com	